

1318/25

पत्रावली पेश हुई। उम्मीद है कि इस व्याख्या के
आदेश दिनांक 23/05/2025 के विरुद्ध मा० राजस्व म०सल,
अजमेर में लिगारकी सं. 4845/2025 प्रभुत होई पर यह
पत्रावली चाली है। अतः उम्मीद है कि मा०सल को
बिधवारि जति नंबर से कम हो

आदेश सुनाया गया

↓
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)



JCMS
2024/406

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक/राजस्व/प्रा.पत्र / 171 / 2024 / 13-8-25 / 4912

दिनांक : 13/08/2025

प्रेषित :-

धीमान निबंधक महोदय,

राजस्व मण्डल, राजस्थान
अजमेर

विषय: प्रकरण संख्या 171/2024 अनवान भगवीश (फौज) सुभद्रादेवी आदि
बनाम असराम (फौज) सुभद्रादेवी आदि अन्तर्गत धारा 212 RTA
निर्णय दिनांक 23/05/2025 भिजवाने हेतु।

प्रसंग :- आपका पत्रांक टीए जिला/2025/4845/गंगा/13/08/2025/8551
दिनांक 20/06/2025

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र द्वारा चाही गई पत्रावली संख्या 171/2024

अनवान भगवीश (फौज) सुभद्रादेवी आदि बनाम असराम (फौज) सुभद्रादेवी आदि

अन्तर्गत धारा 212 RTA निर्णय दिनांक 23/05/2025

कुल पृष्ठ (88) इस पत्र के संलग्न आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपर्युक्तानुसार


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़